

4666/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 502935

बैनामा मालियती 2,50,000 / - मात 5,13,000 / - स्टाम्प-25,650 / -

रामकृष्णशर्मा



Handwritten signature of Ramkrishna Sharma

रामश्रीशर्मा



Handwritten signature of Ramshri Sharma

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- 1-भूमि का प्रकार:- कृषि
- 2-वार्ड / परगना-अकबरपुर

रामकृष्णशर्मा

रामश्रीशर्मा



श आलोक वर्मा 510 बाबुराम वर्मा
 शहजादपुर संधतिया
 अम्बेडकर नगर

श देविन्द्र मोहन श्री



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 502936

(2)

- 3-मोहल्ला/ग्राम-पीथापुर परगना व तहसील-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर
- 4-सम्पत्ति का विवरण-गाटा सं0-353/1.1760 हे0 मे से मात्र रकबा 0.2530 हे0
- 5-मापन की ईकाई- हेक्टेयर
- 6-सम्पत्ति का क्षेत्रफल-0.02530 हेक्टेयर
- 7-सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार) लिंक मार्ग श्रवणक्षेत्र से कदनापुर के लिए
- 8-अन्य विवरण-(9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)-शून्य
- 9-सम्पत्ति का प्रकार-कृषिक भूखण्ड
- 10-सम्पत्ति का क्षेत्रफल-(बहुमंजिला भवन की स्थिति में)-शून्य
- 11-पेड़ों का मूल्यांकन-शून्य

रामकृपाल सिंह

रामश्रीराम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 502937

(3)

- 12-स्थिति-फिनिष्ड / सेमी फिनिष्ड / अन्य- शून्य
13-कुल आच्छादित क्षेत्रफल-शून्य
14-बोरिंग, कूआँ / अन्य-शून्य
15-निर्मित क्षेत्रफल- शून्य
16-निर्माण का वर्ष-शून्य
17-सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है-नहीं
18-प्रतिफल की धनराशि-2,50,000 / -5,13,000 / स्टाम्प देयता
मु0-25,650 / -

जिसकी चौहद्दी :-

पूरब- कृषि भूमि दयाराम वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण
महाविद्यालय पीथापुर कटेहरी अकबरपुर
अम्बेडकरनगर

पश्चिम- खेत विक्रेता राम कृपाल आदि

उत्तर- खेत मुख्तार अहमद आदि

दक्षिण- लिंक मार्ग श्रवणक्षेत्र से कदनापुर के लिए

रामकृपाल सिंह



रामशरीराम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 502897

(4)

प्रथम पक्ष की संख्या-1 विक्रेता का विवरण-(नाम)-राम कृपाल
पुत्र श्री विजय बहादुर रथाई व रथाई पता-ग्राम-कुड़िया
चितौना परगना व तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर
व्यवसाय- कृषि द्वितीय पक्ष की संख्या-1 क्रेता का
विवरण-नाम-दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीथापुर कटेहरी
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम
शिरोमणि वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा निवासी-लखैचनपुर पोस्ट
चमुखर्वा परगना-मिझौड़ा तहसील-अकबरपुर, जिला- अम्बेडकर
नगर व्यवसाय-कृषि संचालित द्वारा माँ शान्ति एजूकेशनल ट्रस्ट
लखैचनपुर पो0 चमुखर्वा परगना मिझौड़ा तहसील
अकबरपुर अम्बेडकर नगर द्वारा अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी

रामकृपाल शिंह



रामशिव शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 502898

(5)

राम शिरोमणि वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा निवासी-लखैचनपुर पोस्ट चमुर्खा परगना-मिझौड़ा तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर उपरोक्त विवरण अनुसार विक्रीत आराजी गाटा सं०-353/1.1760 हे० मे से मात्र रकबा 0.2530 हे० जो ग्राम-पीथापुर परगना व तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर में स्थित कृषिक भूखण्ड है जिसकी मालियत सामान्य ग्राम के अन्तर्गत कृषिक सिंचित दर मु० 13,50,000/-रूपया प्रति हे० की दर से मु०-3,42,000/-रूपया होता है तथा आराजी मुबइया अन्य

रामकृपाला सिंह



रामशिवप्रसाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 970477

(6)

पक्की सड़क (लिंग मार्ग) श्रवण क्षेत्र से कदनापुर से संलग्न होने की वजह से 50 प्रतिशत वृद्धि मु0-1,71,000/-रुपया होता है इस प्रकार सम्पूर्ण मालियत मु0-5,13,000/-रुपया होता है जिस पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत की दर से मु0-25,650/-रुपये का दिया जा रहा है को स्वयं स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मन व चित्त के द्वितीय पक्ष के हक में मु0-2,50,000/- रू0 दो लाख पचास हजार रुपया कि जिसका आधा मु0-1,25,000/-रू0

रामचंद्रपाल सिंह



रामचंद्रपाल सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 257183

(7)

एक लाख पचीस हजार रूपया होता है वै कामिल किया
व बैच डाला और कुल जरे समन कब्ल तहरीर
दस्तावेज हाजा प्रथम पक्ष वसूल पा चुके हैं अब पाना कुछ
बाकी नहीं है लेहाजा आराजी मुबैया पर बजाय अपने
कब्जा व दखल क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और प्रथम पक्ष
ने अपना कब्जा व दखल उठा लिया चाहिए कि
प्रथम पक्ष की तरह द्वितीय पक्ष भी मालिकाना
काबिज व दखील होकर पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठावें और
इन्द्राज कागजात सरकारी में अपना नाम अंकित करा लें

शमकृष्णशर्मा



शमकृष्णशर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 257184

(8)

प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों को कुछ उज्र न होगा तथा दस्तावेज हाजा के निस्वत कोई इकरारनामा नहीं हुआ है तथा आराजी मुबैया सीलिंग या पट्टा की भूमि नहीं है तथा आराजी मुबइया हर प्रकार से पाक व साफ है तथा आराजी मुबैया में कोई निर्माण नहीं है तथा क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्रेता विक्रेता द्वारा क्रय-विक्रय की गयी सम्पत्ति का मूल्यांकन इस

रामकृपाल सिंह



रामकृपाल सिंह



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 257185

(9)

विलेख पत्र द्वारा क्रय विक्रय की गयी सम्पत्ति के मूल्यांकन को जोड़कर 30,00,000/-रुपया या उससे अधिक का नहीं है तथा दस्तावेज हाजा पक्षकारों के कथनानुसार लिखा जा रहा है लेहाजा यह दस्तावेज बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे इति दिनांक-29 दिसम्बर 2012 ई0 ड्राफ्टकर्ता व टाइप कर्ता-सतीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर



राम कृपालिशिंदे

29/12/12

रामेश्वर गोपाल



नकशा नगर री गाटा सं ३५३ स्थानीय प्रशासनिक पत्राचार
 मकान पत्राचार मकान नकशा



संकेत

- गाटा सं. नाम का अर्थ
- 53 = नाला
- 125 = रू. 1 अंगुल चौ. रू. 36
- 281 = मकान
- 282 = मकान
- 283 = मकान
- 284 = मकान
- 285 = मकान
- 350 = मकान
- 351 = मकान
- 352 = मकान
- 353 = मकान
- 354 = मकान
- 355 = मकान
- 356 = मकान
- 341 = मकान
- 342 = मकान
- 377 = मकान
- 378 = मकान
- 379 = मकान
- 380 = मकान
- 381 = मकान
- 382 = मकान
- 383 = मकान
- 384 = मकान
- 385 = मकान
- 342 = मकान
- 341 = मकान

रामकृष्ण सिंह



रामश्री नारायण



रामश्री नारायण